

अनुदान संख्या 93 - सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
GRANT No. 93 - DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	13117,11,00		
		13117,12,00	9501,78,43	-3615,33,57
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			3614,18,10

पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-	140,05,00	78,19,40	-61,85,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			61,85,61

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/ हुए:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2225"	Major Head "2225"			
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities			
मू.	O.	130086.00		
पू.	S.	1.00	92505.55	92392.24
पु.	R.	-37581.45		-113.31

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"			
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare			
मू.	O.	102275.00		
			39594.44	39594.42
				-0.02
पु.	R.	-62680.56		
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्व क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	44779.00		
		
				..
पु.	R.	-44779.00		
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	1022371.00		
			811066.85	811066.85
				..
पु.	R.	-211304.15		
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"			
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature			
मू.	O.	5500.00		
			489.87	489.87
				..
पु.	R.	-5010.13		

(I) तेरह शीर्षों के अंतर्गत – ₹44781.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा जिसमें से ₹43390.00 लाख मुख्य शीर्ष “2552” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:—

(का) “सामाजिक न्याय – कल्याण – नशीले पदार्थों की मांग कम करने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना” – ₹3110.00 लाख;

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— अनुसूचित जातियों के विकास के लिए योजना” – ₹19860.00 लाख;

(गा) “पिछड़े वर्गों का कल्याण – शिक्षा” –

(क) “ओ. बी. सी., ई. बी. सी. और डी. एन. टी. के लिए वाइब्रेंट इंडिया (पी एम यशस्वी) हेतु पी एम यंग एचीवर्स छात्रवृत्ति योजना” – ₹15880.00 लाख; और

(ख) “ओ. बी. सी. और ई. बी. सी. के लिए यंग एचीवर्स स्कीम (श्रेयास) हेतु उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति योजना” – ₹860.00 लाख।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों को कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने और शेष राशि को अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(घा) “सामाजिक कल्याण – सुधारात्मक सेवायें – हाशिये पर रहने वाले लोगों के लिए आजीविका और उद्यम के लिए सहायता (स्माइल)” – ₹730.00 लाख; और

(डा) “सामाजिक कल्याण – अन्य कार्यक्रम – अटल वयो अभ्युदय योजना (ए. वी. वाई. ए. वाई.)” – ₹2950.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम की राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो पाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹44781.00 lakhs remained wholly unutilised under thirteen heads; of these ₹43390.00 lakhs accounted for under Major Head “2552”- under the following heads:-

(A) “Social Welfare - Prohibition - National Action Plan for Drug Demand Reduction” - ₹3110.00 lakhs;

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Scheme for Development of Scheduled Castes” - ₹19860.00 lakhs;

(C) “Welfare of Backward Classes-Education” -

(a) “PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) for OBCs, EBCs and DNTs” - ₹15880.00 lakhs; and

(b) “Scholarships for Higher Education for Young Achievers Scheme (SHREYAS) for OBCs and EBCs” - ₹860.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(D) “Social Welfare - Correctional Services - Support for Marginalized individuals for Livelihood & Enterprise (SMILE)” - ₹730.00 lakhs; and

(E) “Social Welfare - Other Programmes - Atal Vayo Abhyuday Yojana (AVYAY)” - ₹2950.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of proposals from the State Governments of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष “2225” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:-

(का) “अनुसूचित जातियों का कल्याण” –

(क) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना”-

(i) “मेट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति” – ₹4335.40 लाख की बचत (₹5950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में आवेदन प्राप्त होने और कम संख्या में छात्रों के बैंक खातों की आधार सीडिंग होने के कारण हुई।

(ii) “बाबा साहेब डा. भीम राव अंबेडकर फाउंडेशन”- ₹2250.00 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना के अंतर्गत कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) “प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी एम अजय)” – ₹11629.05 लाख की बचत (₹13300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन कर्ता अभिकरणों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और कम प्रशासनिक व्यय होने के कारण हुई।

(iv) “अनुसूचित जातियों के लिए लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ)” – ₹2096.27 लाख की बचत (₹10255.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रशासनिक व्यय होने, कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और वी. ओ. में (मोड 2 में) निधियों की प्रक्रिया के लिए देरी से रिजोलुशन आने के कारण हुई।

(v) “राष्ट्रीय यांत्रिक स्वच्छता परितंत्र कार्य योजना (नमस्ते)” – ₹6539.75 लाख की

(II) Under Major Head “2225” - savings occurred under the following heads: -

(A) “Welfare of Scheduled Castes” -

(a) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(i) “Post Matric Scholarships” - saving of ₹4335.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5950.00 lakhs) was due to receipt of less applications and less adhaar seeding of students’ bank account.

(ii) “Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar Foundation” - saving of ₹2250.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals under the scheme.

(iii) “Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana (PM AJAY)” - saving of ₹11629.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13300.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the implementing agencies and less administrative expenses.

(iv) “Scheme of Residential Education for Students in High School in Targeted Area (SRESHTA) for SCs” - saving of ₹2096.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10255.00 lakhs) was due to less administrative expenses, receipt of less proposals and late resolution of the procedure of funds to VO (in mode-2).

(v) “National Action Plan for Mechanised Sanitation Ecosystem (NAMASTE)” -

बचत (₹9546.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और कम प्रशासनिक व्यय होने के कारण हुई।

saving of ₹6539.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9546.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and less administrative expenses.

(vi) “प्रधान मंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना (पी एम दक्ष)” – ₹1010.92 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.17 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4285.17 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(vi) “Pradhan Mantri Dakshata Aur Kushalta Sampann Hitgrahi (PM DAKSH) Yojana” - saving of ₹1010.92 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4285.17 lakhs including token supplementary grant of ₹0.17 lakh obtained in December, 2023);

(खा) “शिक्षा – ओ. बी. सी., ई. बी. सी. और डी. एन. टी. के लिए वाईब्रेंट इंडिया (पी एम यशस्वी) हेतु पी एम यंग एचीवर्स छात्रवृत्ति योजना” – ₹8450.11 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.17 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹21230.17 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(B) “Education - PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) for OBCs, EBCs and DNTs” - saving of ₹8450.11 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹21230.17 lakhs including token supplementary grant of ₹0.17 lakh obtained in December, 2023); and

(गा) “पिछड़े वर्गों का कल्याण – आर्थिक विकास” –

(C) “Welfare of Backward classes - Economic Development” -

(क) “प्रधान मंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना (पी एम दक्ष)” – ₹1824.06 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.16 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4384.16 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(a) “Pradhan Mantri Dakshata Aur Kushalta Sampann Hitgrahi (PM DAKSH) Yojana” - saving of ₹1824.06 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4384.16 lakhs including token supplementary grant of ₹0.16 lakh obtained in December, 2023).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें आवेदकों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और कम प्रशासनिक व्यय होने के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to receipt of less proposals from the applicants and less administrative expenses.

(ख) “डी. एन. टी./एन. टी./एस. एन. टी. के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना (सीड)” – ₹2136.00 लाख की बचत (₹3636.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना देरी से शुरू होने के कारण कम संख्या में मांग मिलने और कम प्रशासनिक व्यय होने के कारण हुई।

(b) “Scheme for Economic Empowerment of DNT/NT/SNTs (SEED)” - saving of ₹2136.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3636.00 lakhs) was due to less demand owing to late launching of the scheme and less administrative expenses.

- (घा) “सामान्य – निदेशन और प्रशासन” –
- (क) “राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग” – ₹977.43 लाख की बचत (₹3406.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (ख) “राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग” – ₹644.46 लाख की बचत (₹1164.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (ग) “राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग” – ₹1148.88 लाख की बचत (₹1850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम प्रशासनिक व्यय होने और मितव्ययिता उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2235” – “सामाजिक कल्याण” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुई:-

(का) “वृद्धजन, अशक्त और बेसहारा व्यक्तियों का कल्याण – अटल वयो अभ्युदय योजना (ए. वी. वाई. ए. वाई.)” – ₹45985.72 लाख की बचत (₹64914.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “सुधारात्मक सेवायें” –

(क) “सीमान्त व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम के लिए सहायता (स्माइल)” – ₹5375.98 लाख की बचत (₹6561.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और कम प्रशासनिक व्यय होने के कारण हुई।

(ख) “राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान” – ₹1591.00 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ

(D) “General - Direction and Administration” -

- (a) “National Commission for Scheduled Castes” - saving of ₹977.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3406.00 lakhs);
- (b) “National Commission for Safai Karamcharis” - saving of ₹644.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1164.00 lakhs); and
- (c) “National Commission for Backward Classes” - saving of ₹1148.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1850.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-filling up of vacant posts, less administrative expenses and austerity measures.

(III) Under Major Head “2235” - “Social Welfare” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Welfare of Aged, Infirm and Destitute - Atal Vayo Abhyuday Yojana (AVYAY)” - saving of ₹45985.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹64914.00 lakhs); and

(B) “Correctional Services” -

(a) “Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise (SMILE)” - saving of ₹5375.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6561.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals and less administrative expenses.

(b) “National Institute of Social Defence” - saving of ₹1591.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs)

सोशल डिफेंस से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) “निषेध – नशीले पदार्थों की मांग को कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एन. ए. पी. डी. डी. आर.)” – ₹10160.73 लाख की बचत (₹26000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एन. जी. ओ. से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और कम प्रशासनिक व्यय होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय प्रायोजित योजनायें” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुई:-

(का) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना” – ₹209515.05 लाख की बचत (₹898444.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “केंद्रीय सहायता/हिस्सा – ओ. बी. सी., ई. बी. सी. और डी. एन. टी. के लिए वाइब्रेंट इंडिया (पी एम यशस्वी) हेतु पी एम यंग एचीवर्स छात्रवृत्ति योजना” – ₹1623.83 लाख की बचत (₹120190.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों द्वारा निधियां जारी करने की एकल नोडीय लेखा प्रणाली के कार्यान्वयन में देरी किए जाने, उपयोग प्रमाणपत्र/प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने में देरी होने और अप्रयुक्त धनराशि उपलब्ध होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “3602” – “केंद्रीय प्रायोजित योजनायें” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुई:-

(का) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना” – ₹2941.86 लाख की बचत (₹3100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “केंद्रीय सहायता/हिस्सा” –

was due to receipt of less proposals from National Institute of Social Defence.

(C) “Prohibition - National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR)” - saving of ₹10160.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from NGOs and less administrative expenses.

(IV) Under Major Head “3601”- “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Umbrella Scheme for Development of Scheduled Castes” - saving of ₹209515.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹898444.00 lakhs); and

(B) “Central Assistance/Share - PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) for OBCs, EBCs and DNTs” - saving of ₹1623.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹120190.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to delay in implementation of Single Nodal Account procedure of funds release by State Governments, delay in submission of utilisation certificates/proposals and availability of unspent balances.

(V) Under Major Head “3602”- “Centrally Sponsored Schemes”- savings occurred under the following heads:-

(A) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Umbrella Scheme for Development of Scheduled Castes” - saving of ₹2941.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3100.00 lakhs); and

(B) “Central Assistance/Share”-

(क) “ओ. बी. सी., ई. बी. सी. और डी. एन. टी. के लिए वाइब्रेंट इंडिया (पी एम यशस्वी) हेतु पी एम यंग एचीवर्स छात्रवृत्ति योजना” – ₹1180.90 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(a) “PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) for OBCs, EBCs and DNTs” - saving of ₹1180.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा निधियां जारी करने की एकल नोडीय लेखा प्रणाली के कार्यान्वयन में देरी किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to delay in implementation of Single Nodal Account procedure of funds by Union Territories Governments.

(ख) “अन्य असुरक्षित वर्गों (पिछड़े वर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों सहित) के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना” – ₹887.37 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एन. जी. ओ. से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) “Umbrella Programme for Development of Other Vulnerable Groups (including Backward Classes and Differently Abled Persons)” - saving of ₹887.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from NGOs.

(VI) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1162.78 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक किंतु ₹500.00 लाख से अधिक थीं और स्वीकृत प्रावधान का 51 प्रतिशत से 81 प्रतिशत तक थीं।

(VI) Under three heads savings of ₹1162.78 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 51 percent to 81 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹6845.45 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो गईं जैसा कि, दिसम्बर, 2023 में मुख्य शीर्ष “2225” – “पिछड़े वर्गों का कल्याण शिक्षा – ओ. बी. सी और ई. बी. सी. के लिए युवा उपलब्धि उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति योजना (एस. एच. आर. ई. वाई. ए. एस.)” के अंतर्गत – ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹6845.29 लाख हुआ।

2.(I) The above savings were partly (₹6845.45 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2023 under Major Head “2225” - “Welfare of Backward Classes - Education - Scholarships for Higher Education for Young Achievers Scheme (SHREYAS) for OBCs and EBCs”. Actual excess, however, was ₹6845.29 lakhs.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹432.85 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत था।

(II) Under one head excess of ₹432.85 lakhs occurred constituting 24 percent of the sanctioned provision.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में अभ्यर्पित की गई राशि (₹6185.61 लाख) ₹6185.60 लाख की समग्र बचतों से अधिक थी।

3. In the capital section of the grant, the amount surrendered (₹6185.61 lakhs) exceeded the overall savings of ₹6185.60 lakhs.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
------------------------------	----------------------------------------	------------------

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष "4225"	Major Head "4225"			
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities			
मू.	O.	12840.00		
			7200.00	7200.00
पु.	R.	-5640.00		..
(I) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹360.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।	(I) Provision of ₹360.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.			
(II) मुख्य शीर्ष "4225" के अंतर्गत - बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:-	(II) Under Major Head "4225" - savings occurred under the following heads:-			
(का) "अनुसूचित जातियों का कल्याण - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - अनुसूचित जातियों और ओ. बी. सी. के लिए वेंचर कैपिटल निधि" - ₹4660.00 लाख की बचत (₹6860.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और	(A) "Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes - Venture Capital Fund for SCs and OBCs" - saving of ₹4660.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6860.00 lakhs); and			
(खा) "सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश - अनुसूचित जातियों और ओ. बी. सी. के लिए वेंचर कैपिटल निधि" - ₹980.00 लाख की बचत (₹1980.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।	(B) "General - Investments in Public Sector and other Undertakings - Venture Capital Fund for SCs and OBCs" - saving of ₹980.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1980.00 lakhs).			

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा कम मांग के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to less demand by Industrial Finance Corporation of India.